II – 157
C. J.

Witness No. 7 for अभियोजन साक्षी Deposition taken the 8 दिसंबर day of 2023 Witness's apparent age 21 वर्ष

States on affirmation शपथपपूर्वक my name is **आसिफ मोहम्मद**

S/W of साहिद मोहम्मद occupation छात्र

address ग्राम बलौदा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर–चांपा छ.ग.

समय 15:18 बजे से 15:35 बजे तक

मुख्य परीक्षण द्वारा श्रीमति विजय लक्ष्मी सोनी अतिरिक्त लोक अभियोजक

1/ मैं व्ही.सी. के माध्यम से उपस्थित अभियुक्तगण को नहीं पहचानता हूं।

2/ मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये थे। पुलिस वाले मेरे समक्ष कोई जप्ती कार्यवाही नहीं किये थे। थाना के सामने यादव होटल में जब मैं नाश्ता कर रहा था, उसी समय पुलिस वाले मुझे बुलाकर लेकर गये और कुछ दस्तावेजों पर मुझे हस्ताक्षर करने के लिये बोले थे तब मैं उन कागजों पर अपना हस्ताक्षर किया था। जप्ती पत्रक **प्र.पी. 07** के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी टेंगना को गिरफतार नहीं किये थे। गिरफतारी पत्रक **प्र.पी. 08** के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

टीप– इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा साक्षी से धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण के सामान प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही, अभिलेख का अवलोकन किया गया, विचारोपरांत अनुमति प्रदान किया गया।

3/ यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी टेंगना का मेमोरेण्डम कथन लिये थे, जिसमें आरोपी टेंगना मेरे सामने पुलिस वालों को बताया था कि पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिये रामकुमार कौल, सत्यम कौल और दीपक प्रजापति को शराब में कीटनाशक और चूहा मार दवा मिलाकर दिया था, जिससे सत्यम कौल की मौत हो गई थी, रामकुमार और दीपक बच गये थे। यह कहना गलत है कि आरोपी मेरे समक्ष पुलिस वालों को यह भी बताया था कि उसने उक्त कीटनाशक का डिब्बा और चूहा मार दवाई का पैकेट अपने घर में छिपा कर रखा है, चलकर बरामद करा देगा। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले आरोपी के निशानदेही पर ट्रायसेल कीटनाशक दवाई का डिब्बा 70 एम.एल. एवं चुहा मार दवाई का पैकेट को आरोपी के घर से बरामद कर जप्त किये थे।

4/ मैं कक्षा दसवी तक पढ़ा हूं, हिंदी पढ़ लिख लेता हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है किसी भी दस्तावेज में हस्ताक्षर करने के पहले उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिये। यह कहना सही है कि मुझे इस बात की जानकारी है किसी दस्तावेज में बिना पढ़े हस्ताक्षर करने का परिणाम गलत भी हो सकता है। स्वतः कथन है कि पुलिस वाले मुझे ले गये थे इसलिये मैं उनके भय के

कारण अपना हस्ताक्षर कर दिया था। यह कहना गलत है कि मैं आरोपी से मिल गया हूं, इसलिये उसे बचाने के लिये आज पुलिस कार्यवाही से इंकार कर रहा हूं।

<u>परीक्षण द्वारा श्री अश्वनी कुमार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

5/– कुछ नहीं।

वाचित, सही स्वीकृत

सही/–
(अनिल कुमार बारा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर
जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–
(अनिल कुमार बारा)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर
जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)